

-: सशाधत नालामा सूचना मृत पशु राव निस्तारण :-
(वित्तीय वर्ष 2009-2010)

जिला पंचायत झॉसी द्वारा जनपद के समस्त विकास खण्डों के अन्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ठेकों को इस व्यवसाय में पैत्रक रूप से संलग्न व्यक्तियों के मध्य नीलामी के माध्यम से विकास खण्ड बार उठाए जाने हेतु दिनांक 05-02-2009, दिनांक 09-02-2009 व दिनांक 12-02-2009 नियत करते हुए संशोधित नीलामी सूचना का प्रकाशन दैनिक जागरण व दैनिक अमर उजाला झॉसी के अंक दिनांक 23-01-2009 में कराया गया था तदनुसार दिनांक 05-02-2009 व दिनांक 09-02-2009 को नियत समय व स्थल पर प्रारम्भ की गयी नीलामी की कार्यवाही में पृथक-पृथक विकास खण्ड बार उक्त कार्य का लाइसेंस/ठेका लेने हेतु पर्याप्त संख्या में पैत्रक व्यक्तियों के उपस्थित न होने के कारण नीलामी समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार दिनांक 12-02-2009 को समय 11.00 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न तक पृथक-पृथक विकास खण्ड बार अथवा दो या दो से अधिक विकास खण्डो अथवा जनपद के सम्पूर्ण विकास खण्डों को एक मुश्त आधार (सम्पूर्ण जनपद के लिए) पर रायल्टी पर उठाए जाने हेतु नीलामी की कार्यवाही कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी/विकास भवन झॉसी में सम्पन्न की जावेगी। सम्पूर्ण जनपद के मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस/ठेका के लिए बोलीदाता को जमानत के रूप में चार लाख रुपये व प्रत्येक विकास खण्ड के लिए 50,000/- पचास हजार रूपया बोली बोलने से पूर्व नीलाम समिति के समक्ष जमा करना अनिवार्य होगा। तथा नीलामी की समाप्ति पर अधिकतम बोलीदाता को अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी की शेष शरायतें यथावत रहेगी जो किसी भी कार्यशील दिवस में देखी व पढी जा सकती है।

(उमेश चन्द्र पटेल)
अपर मुख्य अधिकारी,